महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

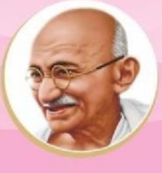

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi

शोध (पी-एच०डी०)

प्रवेश-सूचना विवरणिका

Ph.D.

Entrance-Information Brochure

प्रवेश परीक्षा 2022-23

शोध (पी–एच0डी0) प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

• प्रवेश परीक्षा आवदेन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि– :	28–12–2022 से 05–01–2023 तक
• इण्डियन बैंक/एच0डी0एफ0सी0 बैंक/आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की : किसी शाखा में पेमेन्ट गटे वे के माध्यम से एवं इण्डियन बैंक के चालान के माध्यम से शूल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	07–01–2023
• प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन : प्रिंट करने की अन्तिम तिथि–	10–01–2023

नोटः अन्तिम तिथि 05–01–2023 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवदेन पत्र नहीं भरा जा सकेगा।

शोध (पी–एच0डी0) प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों हेतु :	रू0 **850/-**
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु :	रू0 **750/-**

नोटः

ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवदेन पत्र भरने के पश्चात् प्रवेश परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेब साइट से ई–चालन जेनरेट कर उसकी प्रिन्ट आउट निकालने के 04 घण्टे बाद इण्डियन बैंक/एच.डी.एफ.सी. बैंक/आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की देश की किसी भी शाखा में चालान अथवा पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा किया जा सकता है। चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के 24 घण्टे के बाद तथा पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से शुल्क के जमा करने के पश्चात् तत्काल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवदे न पत्र अपलाडे किया जा सकता है।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

शोध (पी–एच0डी0) प्रवेश परीक्षा सूचना

सत्र : 2022–23

सत्र : 2022–23 हेतु अधोलिखित विषयों में शाधे (पी–एच0डी0)प्रवेश परीक्षा आयोजित है– परीक्षा माह जनवरी 2023 में होगी। परीक्षा की सूचना विश्वविद्यालय वेब साइट के माध्यम से दी जाएगी।

1. शोध विषय, विषय कोड एवं सीट सख्या–

क्रमांक	विषय	विषय कोड	सीट सख्या
1.	अंग्रेजी	701	12
2.	हिन्दी	702	50
3.	संस्कृत	703	08
4.	इतिहास	704	01
5.	प्राचीन इतिहास	705	30
6.	मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास	706	40
7.	दर्शनशास्त्र	707	16
8.	अर्थशास्त्र	708	60
9.	समाजशास्त्र	709	65
10.	राजनीति विज्ञान	710	60
11.	मनोविज्ञान	711	20
12.	वाणिज्य	712	60
13.	प्रबन्धशास्त्र	713	03
14.	शिक्षाशास्त्र	714	60
15.	शारीरिक शिक्षा	715	20
16.	विधि	716	12
17.	मंचकला – (गायन)	717	10
18.	भूगोल	718	10
19.	रसायन विज्ञान	719	10
20.	भौतिक विज्ञान	720	10
21.	गणित	721	12

22.	सांख्यिकी	722	06
23.	प्राणी विज्ञान	723	10
24.	वनस्पति विज्ञान	724	12
25.	गृह विज्ञान	725	10
26.	कम्प्यटूर साइंस	726	04
27.	पशु पालन एवं दुग्ध उत्पाद	727	05
28.	कृषि– कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी	728	05
29.	कृषि उद्यान	729	05
30.	कृषि रसायन	730	03
31.	शस्य विज्ञान	731	10
32.	आनुवंशिकी एवं पादप प्रजन्न	732	10
33.	पादप रोग विज्ञान	733	05
34.	कीट विज्ञान	734	05
35.	ललित कला	735	05
36.	पं0 दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ, (समाजकार्य, आई.आर.पी.एम., पत्रकारिता, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास एवं दर्शनशास्त्र के उक्त विषय के आलोक में एम.ए. उपाधि–धारी आवेदन कर सकते हैं	736	04

नोट : **उपर्युक्त सीट संख्या में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।**

2. शोध के लिए अर्हता (Eligibility Conditions for Research):

(क) वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरा कर लिया है:–

4–वर्षीय/8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1–वर्ष/2–सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3–वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2–वर्षीय/4–सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है; अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55 अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई–डब्ल्यू–एस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय–समय

पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5 अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। बशर्ते, 4–वर्षीय/8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75 अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई–डब्ल्यू–एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय–समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5 अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(ख) एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम 55 अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी–ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

(ग) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी/नियमित शिक्षक (परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायीकरण के उपरान्त) लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे किन्तु उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। समय विस्तार के मामले में नियमित शोधार्थियों के लिए निर्दिष्ट नियम ही इनके लिए भी प्रभावी होगा।

(घ) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होनें U.G.C., CSIR इत्यादि की J.R.F., NET एवं समकक्ष GATE, अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे विश्वविद्यालय की लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे।

3. <u>शोध प्रवेश परीक्षा</u> (Process of Research Entrance Test):

लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसमें दो प्रश्न पत्र होंगे।

क. **प्रथम प्रश्न पत्र** – इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे जो जनरल अवेयरनैस, एकेडमिक एप्टीट्यूड तथा सम्बन्धित विषय पर आधारित होंगे, जिनका समय दो घण्टे निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। इसमें कोई नकारात्मक (Negative) मार्किंग नहीं होगी।

द्वितीय प्रश्न पत्र – इसमें 200 नम्बर के 200 प्रश्न होंगे जो सम्बन्धित विषय तथा रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे। इसमें कोई नकारात्मक (Negative) मार्किंग नहीं होगी।

ख. परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय कैम्पस में ही होगा। विशेष परिस्थिति में यदि विश्वविद्यालय में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध न हो तो राजकीय महाविद्यालय को इसका केन्द्र बनाया जा सकता है।

ग. परीक्षा मे प्रत्येक पेपर में 40% अंक पाना अनिवार्य होगा किन्तु दोनों प्रश्न पत्रों के पूर्णांक का 50% अंक क्वालिफाइंग होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/ओ0 बी0 सी0 (नान क्रिमिलेयर), ई0 डब्ल्यू0 एस0 तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को कुल प्राप्तांक में और प्रत्येक पेपर में 05 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।

घ. प्रवेश परीक्षा के पश्चात् उच्च प्राप्तांक से अवरोही क्रम में आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों की 20 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी।

मौखिकी के अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी और इसी क्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय होगा।

ड. परीक्षा परिणाम को वर्गवार एवं मेरिटवार सूची तैयार करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। इसकी सूचना ई–मेल तथा हार्ड कॉपी के द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. प्रवेश परीक्षा से छूट (Exemption from Entrance Test)

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पी–एच0डी0 में प्रवेश के लिए **RET** परीक्षा से छूट होगीः–

1. नियमित अध्यापक जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज में पढ़ा रहे हों और अपना परीविक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों।
2. विदेशी अभ्यर्थी (एन0आर0आई0 सहित) जो समय–समय पर केन्द्र सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश, शुल्क आदि सम्बन्धी बनाये गये नियमों एवं शर्तों से प्रभावित होते हैं।
3. वे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन जे0आर0एफ0 / सी0एस0आई0आर0 / आई0सी0ए0आर0 / स्लेट / यू0पी0 या भारत सरकार की किसी अन्य केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा .फेलोशिप हेतु किया गया है या .फेलोशिप के नियम को पूर्ण करते हैं।
4. जिन अभ्यर्थियों ने GATE की परीक्षा में कम से कम 75% अंक प्राप्त किये हों।
5. **NET** परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी प्रवेश परीक्षा से छूट होगी।

5. शोध प्रवेश परीक्षा (Research Entrance Test):

1. प्रवेश परीक्षा हेतू निर्धारित ऑनलाइन आवदेन–पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट –**www.mgkvp.ac.in** पर दिये गये समस्त निर्देशों को भलीभाँति पढ़कर उसका पालन करते हुए आवेदन–पत्र में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें, किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तर–दायी होंगे।
2. प्रत्येक संवर्ग (श्रेणी) के लिए कोड निर्धारित किये गये हैं। निर्देशानुसार आवेदन–पत्र को सावधानी के साथ भरा जाना चाहिए। इसमें की गई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाइन आवदेन–पत्र भरने से पूर्व नवीनतम खिंचवाई गई स्पष्ट फोटो (50 KB) एवं हस्ताक्षर (20 KB) स्कैन करके अपने पास पेनड्राइव / सी0डी0 में सुरक्षित रख लें। ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
4. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
5. प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट–**www.mgkvp.ac.in** से परीक्षा के 03 दिवस पूर्व डाउनलोड किया जा सकेगा।
6. प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को प्रवजन प्रमाण–पत्र तथा एक शपथ–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

7. यदि एक स्थान रिक्त हो और दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में समान अंक हों तो अर्हकारी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित अथवा मोबाइल मैसेज द्वारा अथवा पत्र द्वारा सूचित तिथि एवं समय पर अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु समन्वयक, प्रवेश काउंसिलिंग विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष से सम्पर्क करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशन के समय यदि कोई मुद्रण त्रुटि हो जाती है तो इसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। प्रवेश के लिए सूचित तिथि एवं समय पर समस्त मूल प्रमाण–पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित उपस्थित न होने पर चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

9. यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है और उसे प्रवेश–पत्र निर्गत कर दिया जाता है, जिसे प्रवेश परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो अथवा वह अर्ह न हो अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र न हो तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह उसकी परीक्षा में बैठने की अनुमति अथवा उसके परीक्षाफल को निरस्त कर दे।

10. काउंसिलिंग के समय अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्णता का मूल अंकपत्र तथा मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. शोधार्थियों हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित नियम/परिनियम लागू होंगे।

6. आरक्षण (Reservation)

1. आरक्षण संवर्ग– प्रवेश के समय राज्य सरकार की अद्यतन नीति के अनरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति /आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण के लिए आरक्षण देय होगा। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र में यथा स्थान अधोलिखित तालिका को देखकर संवर्ग के साथ ही संवर्ग कोड लिखना अनिवार्य होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर के लिये उ0प्र0 सरकार के शासनादेश के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

- आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों। महिला अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से निर्गत् होना आवश्यक है। पति का नाम अंकित होने पर मान्य नहीं होगा।

तालिका/**Table**

संवर्ग	कोड संख्या	संवर्ग	कोड संख्या
सामान्य	01	अनुसूचित जाति	03
अन्य पिछड़ी जातियाँ	02	अनुसूचित जनजाति	04
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण	05		

2. **क्षैतिज आरक्षण/(Horizontal Reservation)**

(क) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगाघात) के लिये कुल 05 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगें।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत तथा सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक अथवा अर्द्ध–सैनिक आश्रित अथवा जम्मू कश्मीर से विस्थापित नागरिकों के आश्रितों के लिए कुल 05 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(ग) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्थायी कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा–पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री) के लिए 5–5 प्रतिशत स्थान (कुल 10 प्रतिशत स्थान) सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित हैं।

(घ) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

तालिका/**Table**

अन्य आश्रित संवर्ग	**कोड**	**अन्य आश्रित संवर्ग**		**कोड**
भूतपूर्व सैनिक आश्रित	05	दिव्यांग अभ्यर्थी	दृष्टिहीन/कम दृष्टि	11 A
कार्यरत सैनिक आश्रित	06		श्रवण ह्रास	11 B
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	07		पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगाघात/चलन ह्रास बाधित	11 C
जम्मू/कश्मीर में तैनात अर्द्धसैनिक के आश्रित	08	विश्वविद्यालय (म0गां0का0वि0पी0) के पूर्णकालिक अध्यापक आश्रित		12
जम्मू/कश्मीर से विस्थापित के आश्रित	09	विश्वविद्यालय (म0गां0का0वि0पी0) के पूर्णकालिक कर्मचारी आश्रित		13
महिला	10	विधवा/तलाकशुदा (महिला)		14

नोटः दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी विकलांगता का परीक्षण करने के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निगर्त किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हे उक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा।

7. शोध पंजीकरण प्रक्रिया (Research Registration Process):

(क) शोध प्रवेश परीक्षा फल घोषित होने के पश्चात सफल अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवश्यक सत्यापन हेतु विभागाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होगा। लिखित परीक्षा छूट प्राप्त छात्रों को शोध प्रवेश साक्षात्कार शुल्क (रू. 500/-) अपने शोध प्रस्ताव के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सत्यापन के पश्चात् विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर शोध अनुभाग द्वारा शोध प्रवेश शुल्क (कोर्स वर्क) जमा करने हेतु अनुमति पत्र जारी किया जायेगा।

(ख) प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर अभ्यर्थी निर्धारित शोध शुल्क जमा करेगा। यदि अभ्यर्थी यह शुल्क प्रवेश की अनुमति प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर जमा कर देता है तो उसका पंजीकरण हो जायेगा और शुल्क जमा करने की तिथि से वह पंजीकृत माना जायेगा । उक्त अवधि के अन्दर यदि शोधार्थी शुल्क जमा नहीं करता है तो उसके प्रवेश की अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा मेधा सूची में उसके बाद के स्थान पर निर्दिष्ट छात्र को मौका

दिया जायेगा।

(ग) शोध प्रवेश शुल्क जमा करने एवं पंजीकरण के पश्चात् विद्यार्थी कोर्स वर्क के लिए अधिकृत हो जायेगा और वह अपना शोध प्रारूप सम्बन्धित विषय की शोध समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु निर्देशक की संस्तुति के साथ निर्धारित आवदेन पत्र पर वांछित विवरणों के साथ 10 प्रतियों में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। शोध प्रारूप में विषय–वस्तु, साहित्य समीक्षा, उद्देश्य, परिकल्पनाएँ, शोध–विधि, शोध योजना एवं शोध का शैक्षिक महत्त्व आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। शोध समिति की बैठक की सूचना के साथ सम्बन्धित सदस्यों को शोध प्रारूप की प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी।

(घ) शोध समिति पी–एच0डी0 रजिस्ट्रेशन के लिए शोध छात्रों के आवेदन पत्र पर विचार करेगी। वही विषय के प्रारूप पर भी विचार करेगी और समिति अभ्यर्थियों के शोध विषय पर विचार करने के बाद उन्हें यथावत् अथवा संशोधित रूप में स्वीकृत कर सकती है। सामान्यतया एक सप्ताह के अन्दर विभागाध्यक्ष द्वारा समिति का कार्यवृत्त स्वीकृत आवेदन पत्रों के साथ शोध–अनुभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। शोध शीर्षक स्वीकृत होने के पश्चात् शोध अनुभाग द्वारा शुल्क जमा करने हेतु अनुमति पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ड़) एक वर्ष के शोध कोर्स वर्क के लिए अलग शपत पत्र देना होगा (सेवारत अभ्यर्थियों को 1वर्ष का अवकाश सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पूर्व में प्रस्तुत करना पड़ेगा) सभी प्रमाण पत्र विभाग में जमा होंगे।

(च) शोध समिति के पश्चात् शुल्क जमा करने के पूर्व विभाग में शपथ पत्र जमा करना होगा। सेवारत अभ्यर्थी का अवकाश सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. कोर्स वर्क सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1- विश्वविद्यालय/सस्थान/निदेशक/प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन विषयों के पी–एच0 डी0 कोर्स वर्क का संचालन उनके अध्ययन केन्द्र पर किया जाना है, उन विषयों से सम्बन्धित शिक्षकों की कोर्स वर्क के सुचारु संचालन में संलग्नता उनका अकादमिक कर्त्तव्य माना जायेगा।

2- विश्वविद्यालय/सस्थान/महाविद्यालय में स्थापित अध्ययन केन्द्र के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय–सारिणी और कार्य–योजना के अनुरूप सम्बन्धित विषय के विभाग प्रभारी/विभागाध्यक्ष द्वारा कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कक्षाएँ संचालित की जा सकती हैं। जिन दिनों कक्षाएँ संचालित होंगी उन दिनों को सम्बन्धित शोधार्थी को उपस्थिति पंजिका पर प्रत्येक कालांश में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

4- कम्प्यटूर/प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपस्थिति पंजिका पर उक्त अवधि में शोधार्थियों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

5- प्रत्येक अवधि के लिए अलग–अलग उपस्थिति पंजिकाएँ तैयार की जायेंगी।

6- प्रत्येक विषय के विभाग प्रभारी/विभागाध्यक्ष उपस्थिति पंजिका को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करके अध्ययन केन्द्र समन्वयक को प्राप्त करायेंगे, जिसे प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराके प्रत्येक माह विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

9. कोर्स वर्क (Course Work)

1. कोर्स वर्क की फीस के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को 20000/(बीस हजार मात्र) भुगतान करने होंगे। अनु0जाति/अनु0जनजाति के लिए यह फीस 10000/ (दस हजार मात्र) निर्धारित है। अंशकालिक **(Part time)** अभ्यर्थी को रू0 50000/– (पचास हजार मात्र) शोध कोर्स वर्क, सबमिशन मूल्यांकन आदि का शुल्क जमा करना होगा।
2. सभी प्रवेशित छात्र (प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त छात्र भी) को कम से कम 1 वर्ष का कोर्स वर्क करना अनिवार्य होगा (कार्यरत संस्था से अवकाश लेने के बाद)।
   - **a.** वर्ष के कोर्स को शोध (पी–एच0डी0) की तैयारी माना जायेगा जिसमें रिसर्च मैथडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मैथड्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स एवं शोध से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों के पुनरीक्षण की तैयारी करायी जायेगी।
   - **b.** विभागाध्यक्ष द्वारा कोर्स वर्क की समय सारणी, अध्ययन–अध्यापन, निरन्तर मूल्याकंन तथा आन्तरिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा कोर्स वर्क का पाठ्यक्रम विभागीय समिति व अध्ययन समिति की सहायता से तैयार किया जायेगा।
3. कोर्स वर्क की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र के सभी कक्षाओं में (लिखित एवं प्रायोगिक) न्यूनतम् 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हैं यदि किसी विद्यार्थी की बीमारी के कारण, खेलकूद या अन्य गतिविधियों में भाग लेने की वजह से उपस्थिति कम रह गयी है तब निम्नलिखित नियम लागू होंगे :–
   - 5 प्रतिशत तक की कम उपस्थिति को संयोजक/विभागाध्यक्ष/निदेशक द्वारा छूट दिया जा सकता है, अधिकतम 10 प्रतिशत तक की कम उपस्थिति को संयोजक/विभागाध्यक्ष/निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा छूट दिया जा सकता है। इस छूट के बावजूद न्यनूतम् 65 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है।
4. विश्वविद्यालय की दूसरी परीक्षाओं के साथ विभागाध्यक्ष/निदेशक के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय द्वारा कोर्स वर्क की क्वालिफाइंग परीक्षा करायी जायेगी। आन्तरिक मूल्यांकन सहित कोर्स वर्क परीक्षा में पास होने के लिए (सभी विद्यार्थियों के लिए) प्रत्येक पेपर और पूर्णांक में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
5. यदि कोई विद्यार्थी कोर्स वर्क में फेल हो जाता है तो उसे अगले बैच के साथ कोर्स वर्क परीक्षा पास करने का एक और अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा।
6. जो विद्यार्थी कोर्स वर्क में न्यूनतम् उपस्थिति दर्ज नही कराता है, उसको दुबारा मौका नही दिया जायेगा।

10. प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप ही कोर्स वर्क का संचालन किया जायेगा

11. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अध्ययन केन्द्र को कोर्स वर्क का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जायेगा।

12. सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष/संयोजक (आर0 डी0 सी0) द्वारा अनुमोदित समय–सारिणी, अध्यापन सम्बन्धी निर्देशों आन्तरिक परीक्षण, अधिन्यास तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुरुप कोर्स वर्क का संचालन किया जायेगा।

13. व्याख्यान हेतु बुलाये जाने वाले विशेषज्ञों की सूची सम्बन्धित विषय के विभाग प्रभारी/विभागाध्यक्ष केन्द्र समन्वयक को उपलब्ध करायेंगे।

14. प्रत्येक केन्द्र पर कोर्स वर्क संचालन सम्बन्धी पर्यवेक्षण विभागाध्यक्ष/संयोजक (आर0डी0सी0), सम्बन्धित विषय के संकायाध्यक्ष एवं माननीय कुलपति द्वारा नामित अधिकारी/शिक्षक/समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

15. केन्द्र संचालन सम्बन्धी समस्त आवश्यक प्रपत्रों का नमूना विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

16. समय–समय पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित नियम शोधार्थियों पर लागू होंगे।

****